

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी  
गणेशीकाई

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

शेखरी काई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 203/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गणेशीकाई</u> पत्नी <u>उत्तराम जी सांगी</u> पिता श्री</p> <p>निवासी- <u>भाया वॉर (13)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>भायाजी की झोड़ी (पण्ड. अरुणियापुल)</u> 770, 805, 806, 807 0.47, 0.07, 0.04, 0.06 कुल कीता ..... 4 ..... कुल रकबा ..... 0.6400 ..... है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम ..... स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>770, 805, 806, 807</u> <u>0.47, 0.07, 0.04, 0.06</u> कुल कीता ..... 4 ..... रकबा ..... 0.6400 ..... है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>700=00</u> रुपये अक्षरे <u>सात सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>